सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 25/2022
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

1. सुमित गोदारा पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कृष्णलाल गोदारा पुत्र श्री नंदराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. निर्मला गोदारा पत्नी श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री आशुराम जाति मोदी निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. श्यामसुन्दर पुत्र लालचन्द पुत्र श्री आशुराम जाति मोदी नि. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. बाबूराम पुत्र श्री आशुराम जाति मोदी निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री शिवशंकर — वकील प्रार्थीगण
श्री अनिल चोयल — वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

–: आदेश :– दिनांक :– 22/3/2023

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का पंजीकृत पता व्यवहार प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 4 आरटीपी के खाता सं. 257/136, 226/156, 39/26, 83/36, 9/5 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की उक्त रकबा में आने जाने हेतू मौका पर रास्ताआम चालू है तथा उक्त रास्ताआम अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की कृषि भूमि में स्थित है तथा मौका पर गै.मु. के रूप में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण के खेत को रास्ताआम नहीं होने कारण अपनी कृषि भूमि में काश्त करने सिंचाई करने निकाई करने व अन्य कृषि संबंधी कार्य करने में अनेकों कठिनाइया होने पर अप्रार्थीगण की संगरिया से रतनपुरा कैंची संडक पर उनकी चक 4 आरटीपी के खाता सं. 136/104 के मु.नं. 49 के कि.नं. 15.16 में कृषि भूमि मय रास्ता सड़क हेतू जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कुछ वर्षों पूर्व खरीद की थी। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को बेचान की गई उक्त 0.095है. कृषि भूमि का खाता 257/136 विभाजित करवाकर अलग से कायम करवा लिया गया है। परन्तु उक्त कृषि भूमि से चिपती हुई चक 4 आरटीपी के खाता सं. 136/104 के मु.नं. 49 के कि.नं. 15,16 में 0.023है. व 0.023है. इस प्रकार कुल 0.046है. कृषि भूमि एवं इसके उपरान्त उक्त कृषि भूमि एवं मुख्य सड़क संगरिया रतनपुरा कैंची मध्य रास्ता हेतू 0.005है. व 0.005है. इस प्रकार कुल 0.010है. कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम रास्ता की भूमि खातेदारी कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है जिसे प्रार्थीगण गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के विधिक रूप से अधिकारी एवं दावेदार है उक्त समस्त खातों की प्रमाणित प्रति, जमाबंदियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की कब्जाकाश्त चक 4 आरटीपी के खाता सं. 257/136 के प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 15/2/.047है., 16/1/.048है. इसी चक के खाता सं. 226/156 प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 9,12,19/.253है.प्र. खाता सं. 39/26 प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 10,11,20/.253है.प्र. खाता सं. 83/36 प.नं. 184/191 मु.नं. 50 कि.नं. 15/1/.239है. 16,17/.253है.प्र. प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 14,17/.253है.प्र. व खाता सं. 9/5 में प्रार्थीगण के पुत्र व भाई अमित के नाम प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 8,13,18/.253 है.प्र. दर्ज है। प्रार्थीगण की चक 4 आरटीपी के खाता सं. 257/136 के पं.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 12/2/.

047है. व 16/1/.048है. के साथ पूर्व दिशा मे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के खाता सं. 136/104 में प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 15/1/.079है. व 16/2/.078 है. अर्थात दोनों बीघो मे 0.023है. 0.023है. व 0.023है. इस प्रकार कुल 0.046 है. उत्तर से दक्षिण रास्ता आम दिया हुआ है एवं मौका पर चालू है। उक्त रास्ता आम से प्रार्थीगण की अलग अलग खातों में दर्ज भूमि में आवश्यकता अनुसार व सभी की सुविधा अनुसार रास्ता आम उपलब्ध है। इसके उपरान्त इसी रास्ता आम से चिपती हुई पूर्वी दिशा मे इसी खाता के इसी मु.नं. 49 के कि.नं. 15/1 मे हनुमानगढ संगरिया रोड पर 0.005है. कृषि भूमि तथा इसी मु.नं. 49 के कि.नं. 16 में भी 0.005है. कृषि भूमि रास्ता आम हेतू पूर्व से पश्चिम दी हुई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता व सडक आम हेतू चक 4 आरटीपी के खाता सं. 136/104 के प.नं. 185/191 के मु.नं. 49 के कि.नं. 15/1/.079है. व 16/2/.078है. में 0.056है. कृषि भूमि उक्तानुसार गै.मु. रास्ता आम हेतू दी हुई है एवं मौका पर चालू है एवं प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में है। उक्त रास्ता आम की कृषि भूमि की समस्त प्रतिफल राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार रास्ताआम की भूमि गै.मु. के रूप में दर्ज करवा देवे जिसका उपयोग व उपभोग बैयनामा व भूमि खरीद के रोज से ही बिना किसी बाधा के निरन्तर अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतू करते आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से गत सप्ताह इनकार कर दिया। बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की चक 4 आरटीपी के खाता सं. 257/136 के प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 15/2/.047है. व 16/1/.048है. के साथ पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के खाता सं. 136/104 में प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 15/1/.079है. व 16/2/.078है. में अर्थात दोनों बीघों में 0.023है. व 0.023है. इस प्रकार कुल 0.046है. उत्तर से दक्षिण रास्ता आम दिया हुआ है जो चालू है एवं इसके उपरान्त इसी रास्ता आम से चिपती हुई पूर्वी दिशा में इसी खाता के इसी मु.नं. 49 के कि.नं. 15/1/.079है. में हनुमानगढ़ संगरिया रोड पर 0.005है. कृषि भूमि तथा इसी मु.नं. 49 के कि.नं. 16/2/.078है. में भी 0.005है. कृषि भूमि रास्ता आम हेतू पूर्व से पश्चिम दी हुई है उक्त पर भी रास्ताआम चालू है इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता आम हेतू चक 4 आरटीपी के खाता सं. 136/104 के प.नं. 185/191 के मु.नं. 49 के कि.नं. 15/1/.079है. व 16/2/.078है. में उक्तानुसार 0.056है. कृषि भूमि गै.मु. रास्ता आम हेतू दर्ज दी हुई है को उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता आम के रूप में दर्ज किया जावे।

नजरी नक्शाः–

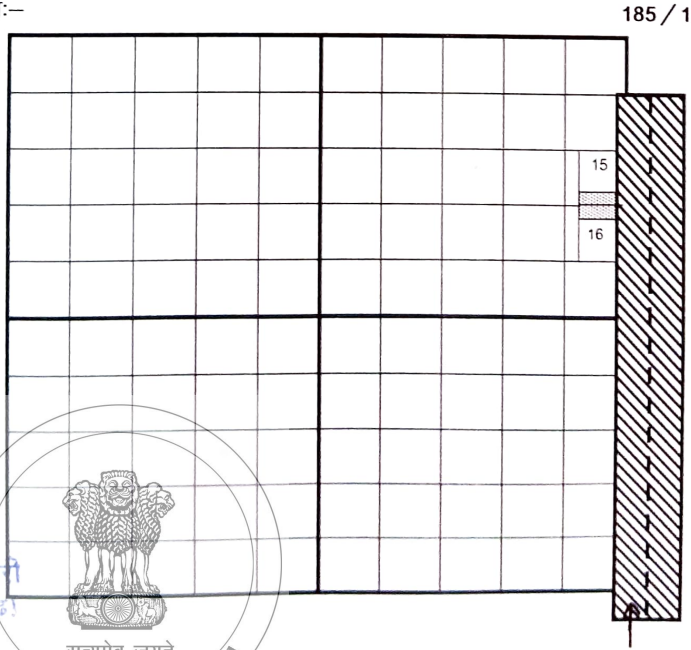

उप खण्ड अधिकारी
संगरिया (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांकः–तहसीलदार संगरिया पत्रांक 702 दिनांक 27.12.22

मौका पर उपस्थित :–1. भू.अ.नि. रतनपुरा

2. राजस्व पटवारी प0म0 रतनपुरा
3. सुमित गोदारा पुत्र कृष्णलाल जाति जाट (प्रार्थी सं.1)
4. मोहन लाल पुत्र आशुराम जाति मोदी (अप्रार्थी सं. 1)
5. श्याम सुन्दर पुत्र लालचन्द जाति मोदी (अप्रार्थी सं.2)
6. बाबूराम पुत्र आशुराम जाति मोदी (अप्रार्थी सं 3)

टिप्पणी :–

1. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण चक नं. 4 आरटीपी में प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 15/1/0.083 किला नम्बर 16/2/0.0083 रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत न कर बिना कोई प्रतिफल/मुजावजा के रास्ता स्वीकृति हेतु अपनी सहमति दी गई है।
2. क्या मामला पारस्परिक सहमति से तय हुआ है :– हां
3. <u>विनिश्चय</u> :– प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व उसके क्रम में अप्रार्थीगण के प्रत्युतर व राजस्व अधिकारी की जांच के अनुसार, अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया व तहसीलदार द्वारा सुझाया गया रास्ता तुल्य व लघुतम है एवं आपसी समझौते का करार है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार का प्रतिफल/मुआवजा पक्षकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

   <u>आदेश</u> :– प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, **चक नं. 4 आरटीपी प.नं. 185/191 मु.नं. 49 कि.नं. 15/1/0.0083 व किला नम्बर 16/2/0.0083 भूमि को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।**
4. आदेश सुनाया गया।

22/3/2023

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांकः–रास्ता स्वीकृति आदेश / 2023 / 442 दिनांकः– 24/3/2023

तहसीलदार (राजस्व),
संगरिया।

विषयः– प्रार्थना–पत्र संख्या 25 / 2022 अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 22/3/2023 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 25 / 2022 अनवान सुमित गोदारा व अन्य बनाम मोहन लाल व अन्य आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में दिनांक 22/3/2023 को निर्णय पारित किया गया है। मुताबिक निर्णय किसी न्यायालय में अपील या किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

24/3/23

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया